



UPBS120004502022

न्यायालय CIVIL JUDGE (J.D. KLD. at BASTI), Basti

पीठासीन अधिकारी- (DIKSHA AGARWAL), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)- UP03335

मूलवाद सं० 361/2022

रामसुभग बनाम मुराली आदि

01.08.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6 ग 2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित गाटा सं० 434 क रकबा 0.124 हे० में स्थित मकान छप्परपोश व सहन अक्षरान क, ख, ग, घ एवं च, छ, ज, झ के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 10 ग 1 द्वारा नकल दस्तावेज बैनामा कागज सं० 11 ग 1/1 लगायत 11 ग 1/13, छायाप्रति जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 कागज सं० 12 ग 1 दाखिल किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेज बैनामा की मंसूखी, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक-17.08.2022 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)

खलीलाबाद स्थान- बस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8 ग 2

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 8 ग 2 विवादित भूमि का नक्शा एवं आख्या जरिए अदालत अमीन मंगवाए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वाद के निस्तारण में अमीन रिपोर्ट व नक्शा सहायक होगा। अतः प्रार्थनापत्र 8 ग 2 स्वीकार किया जाता है। अदालत अमीन को परवाना जारी हो। वादी पैरवी करे।

सिविल जज (जू०डि०)

खलीलाबाद स्थान- बस्ती।